तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म में
15|2|21	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित है। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान पर विचार किया गया।	
	दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता - अपीलार्थी का अपील मेमो के अलावा कथन किये कि राजस्व रिकार्ड में जाति यादव तथा लाड़पुरा तरमीम से जाति रिपोर्ट में जाति जाखड़ अंकित होने से ग्राम पंचायत द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये नामान्तकरण को अस्वीकार कर दिया है। प्रकरण में प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं हुआ है अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जावे, तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दि. 5/8/20 को अपास्त किया जावे।	
	इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का कथन है, कि रेस्पो० द्वारा रिकार्ड एवं रिपोर्ट के आधार पर विनिश्चय किया है निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है।	
	बाद बहस हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो में अंकित कथन,	
	उपखण्ड अधिकारी -क्रमशः	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
बीमित तथ्य, प्रस्तुत दस्तावेज, अपीलार्थीन आदेश एवं बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर सम्यक् विचार किया गया। प्रकरण में नामान्तरकरण प्रविष्टि सं० 2286 पर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत खुल्ली द्वारा दिनांक 5/8/2020 को निर्णय पारित किया गया है। हल्का जमाबंदी ग्राम खुल्ली 2014-17 खाता नं. 25 पर ख.न. 756 व 780 की प्रवि अशोक कुमार पुत्र नंदकिशोर जाति अहीर (यादव) सा० कसार के नाम पर दर्ज थी इसी प्रकार राजस्व ग्राम खुल्ली की प्रवि ख.नं. 511 अशोक कुमार पुत्र नंदकिशोर यादव के नाम पर दर्ज होना प्रतीत होता है। नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पटवारी पटवार मण्डल कसार दि० 11-12-2019 की रिपोर्ट के अनुसार अशोक कुमार की जाति यादव अंकित की हुई थी ग्राम पंचायत कसार पं.स. लाडपुरा के द्वारा जारी नोटिस तस्दीक दि. 9.10.19 में अशोक कुमार पुत्र नंदकिशोर की जाति यादव अंकित की हुई थी विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह तर्क है, कि अपीलार्थी की जाति	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमशः

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जारव है तथा उनके पति/पिता श्री जारव ही थे। राजस्व रिकार्ड में भाति यादव लिख दी गई थी यादव को सामान्य बोलचाल में जारव ही बोलते थे।
	हमने मूलतः अपीलाधीन आदेश पर सम्यक विचार किया। नामान्तरकरण को 4.8.20 को दायर किया गया। तथा बाद जाँच ग्राम पंचायत खुल्मी के द्वारा आदेश पारित कर नामान्तरकरण को अपने आदेश दिनांक 5/8/20 के द्वारा पुनः दर्ज करने के आदेश सहित नामान्तरकरण खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, क्योंकि अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह जाहिर नहीं आता है।
	प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रस्तुत होने की सालरी
	क्रमशः

उपखण्ड अधिकारी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
तौर पर मात्र उ.ल.प्र की रिपोर्ट एवं हल्का-लेख अर्थात पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन उपरान्त नामान्तरकरण को खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का पालन नहीं किया जो प्रकरण में आवश्यक था। प्रकरण में हितबद्ध अर्थात प्रकरण से प्रभावित पक्षों को बिना सुने तथा बिना सुनवाई का सम्यक अवसर प्रदान करे ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचारोपरान्त अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत का अपीलाधीन आदेश दि० 5/8/20 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार राजमण्डी को इस निर्देश सहित रिमाण्ड किया जाता है, कि वे प्रकरण के हितबद्ध समस्त पक्षकारों को सुनवाई व तथ्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त एवं युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करते हुये, सम्यक सुनवाई उपरान्त पुनः उपखण्ड अधिकारी -क्रमशः	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नवीन सिरे से विधिसंगत आदेश पारित करें।
	पक्षकार वकीलसदर रामगंजमण्डी के समक्ष दि० 16.3.21 को उपस्थित हो। प्रकरण में आदेश की एक प्रति वकीलसदर रामगंज मण्डी को प्रेषित की जावे।
	पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	निर्णय आज दि० 12/2/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।
	(हस्ताक्षर) (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी